



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19893 वर्ष 2026

अमरनाथ

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (गृह) के माध्यम से

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अतुल कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता., सुशील कुमार पांडे

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री अतुल कुमार, शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पांडे और यूपी राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह ज़मानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 186/2026 (पुलिस स्टेशन बुढ़ाना, ज़िला मुज़फ़्फ़र नगर) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 333, 115(2), 109(1), 351(2), 351(3) के तहत दर्ज है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना 27.4.2026 को हुई थी, जबकि एफ.आई.आर. दो दिन बाद 29.4.2026 को 16:11 बजे दर्ज कराई गई थी। एफ.आई.आर. दर्ज करने में हुई बहुत ज़्यादा देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है; यह एफ.आई.आर. आवेदक समेत 11 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता पक्ष के घायल लोगों को लगी चोटें मामूली किस्म की हैं। 27.4.2026 की कथित घटना का एक क्रॉस वर्शन (विपरीत पक्ष का बयान) भी है। आवेदक पक्ष के दो लोगों को भी कथित तौर पर चोटें आईं और आवेदक पक्ष की ओर से 29.4.2026 को एक क्रॉस एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, जिसे मुकदमा अपराध संख्या 187/2026 के तौर पर दर्ज किया गया। यह मामला बीएनएस की धाराओं 131, 115(2), 110, 352, 351(3) के तहत थाना बुढ़ाना, जिला मुज़फ़्फ़रनगर में दर्ज हुआ। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 5.5.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की ज़मानत की आवेदन का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के बारे में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपराध संख्या 187/2026 (एफ.आई.आर.) में फ़ाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और आवेदक की ओर से लगी चोटें मामूली प्रकृति की हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड को देखा है।

6. पक्षों के वकीलों की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने जैसी बातों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।

7. इसलिए, ज़मानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक **अमरनाथ**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों की पुष्टि की जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय में खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और अगर आवेदक उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण जज की उस स्वतंत्र राय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो वे गवाहों की गवाही के आधार पर बनाएंगे।

16 जून, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”